



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

संख्या :: 243(i)/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-1/2019-20

दिनांक :: 07 जून, 2022

विस्तृत विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग- समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) मुख्य परीक्षा-2020 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा-2020 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-1/S-1/2020 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 की मुख्य परीक्षा के सापेक्ष औपबन्धिक रूप से अभिलेख सत्यापन सूची (Documents Verification List) विज्ञप्ति संख्या : 75/16/प्र0परीक्षा(मुख्य)-2020/गोपन-2/2020-21 दिनांक 08 फरवरी, 2022 एवं विज्ञप्ति संख्या : 16/16/प्र0परीक्षा(मु0)-2020/गोपन-2/2021-22 दिनांक 13 मई, 2022 द्वारा घोषित की गयी थी। उक्त के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम में उपस्थित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की सन्निरीक्षा के पश्चात प्रवक्ता जीव विज्ञान (सामान्य शाखा) हेतु पुनः अभिलेख सत्यापन सूची जारी की गयी है।

02- उक्त अभिलेख सत्यापन सूची (Documents Verification List) में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए, सन्निरीक्षा (Scrutiny) का कार्य अनुक्रमांकवार दिनांक 14 जून, 2022 तक (कार्यदिवस सोमवार से शुक्रवार) निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित है-

अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

दिनांक- 14 जून 2022 तक (कार्यदिवस सोमवार से शुक्रवार)						
विषय/शाखा- जीव विज्ञान (सामान्य शाखा)						
812657	815806	822167	828053	830952	831462	843033

नोट- (i) दिनांक 14 जून, 2022 तक (कार्यदिवस सोमवार से शुक्रवार) अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच का कार्य, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होगा। अभ्यर्थी प्रातः 09:30 बजे तक परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

03- इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए, समस्त प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 02 सैट के साथ नियत तिथि को, आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे-

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र (अनुक्रमांक सहित)।

(ख) विस्तृत आवेदन-पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या-02)

(ग) प्रमाणीकरण-प्रपत्र (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या-03)

(घ) देशना-पत्रक (Index Card) (प्रपत्र संख्या-04)।

04— अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (02 प्रतियों में) प्रत्येक विषय अथवा शाखा हेतु पृथक-पृथक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे :-

- 1) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 2) इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 3) स्नातक उपाधि एवं अंक-तालिका (समस्त वर्षों/समस्त सेमेस्टर की)।
- 4) स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंक-तालिका (समस्त वर्षों/समस्त सेमेस्टर की)।
- 5) एल0टी0 डिप्लोमा या शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
- 6) अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो)।
- 7) आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण-पत्र।
- 8) विज्ञापन के बिन्दु सं0-2(2) में उल्लिखित नोट "समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता" के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष अभिलेख/प्रमाण पत्र।
- 09) यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- 10) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।
- 11) पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि वे पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।
- 12) जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या 716/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-01/2019-20 दिनांक 10 फरवरी, 2021 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद (ग्रेड-पे 4800) से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में अपनी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रेषित करें।
- 13) यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (**Examining Body**) ने नियमित प्रमाण-पत्र (**Certificate**) अथवा उपाधि (**Degree**) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (**Provisional Certificate**) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर दिखाना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।
- 14) पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।
- 15) मुख्य परीक्षा हेतु जमा किये गये ऑनलाइन परीक्षा शुल्क की रसीद।
- 16) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों/शाखाओं में सफल घोषित हुये हैं, उनके द्वारा ऑनलाइन भरी गयी प्राथमिकता (**Preference**) सूची की प्रति एवं बहुदिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित विषय के बहुदिव्यांग की उपश्रेणी के ऑनलाइन अंकन से संबंधित प्रिंट आउट की प्रति।
- 17) उपरोक्त क्रमांक 1) से 16) पर वांछित अभिलेखों की चैकलिस्ट। (अभ्यर्थी वेबसाइट से चैकलिस्ट डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भर लें)।

05— यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि तक उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

06— यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। यदि अतिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

07— आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

08— अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में कोविड से संबंधित समस्त नियमों, प्रोटोकाल व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। बिना मास्क प्रवेश निषिद्ध होगा।

Sd/-
(एस0एल0 सेमवाल)
सचिव प्रभारी।